दिनांक 23.04.2021	
प्रेस विज्ञप्ति 23/21	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अयोध्या/थाना रौनाही

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 22.04.2021 को थाना रौनाही, गोसाईगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सलारपुर पुलिया के पास 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अमित कुमार 2–विशाल सहित 02 अन्य अभियुक्त 3–राजेश कुमार 4–सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त 1–अमित कुमार 2–विशाल थाना रौनाही पर पंजीकृत मु0अ0सं0–133/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 419/420/272/467/468/471/34 भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रौनाही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1– राजेश कुमार निवासी कर्मयोगी नगर गोरा बारिक थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर मूल निवासी ग्राम लाल बगीया थाना चिरैया जनपद मोतीहारी, बिहार।

2–सुनील कुमार निवासी एच0सी0 12/13 इन्ड्रस्टियल स्टेट गद्दोपुर थाना कैन्ट जनपद अयोध्या।

3–अमित कुमार निवासी मोहल्ला विक्रमजोत थाना छावनी जनपद बस्ती।

4–विशाल निवासी धनीराम का पुरा देवकाली थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

<u>बरामदगी</u>—:

1—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

<u>जनपद मेरठ/थाना ब्रहमपुरी</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने के आभूषण**
- **01 लाख 75 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा, जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.04.2021 को थाना ब्रहमपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधवपुरम बालिका इण्टर कालेज के पास पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्तों 1—शाहरूख, 2—विनय कुमार उर्फ रिंकू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने के आभूषण (चैन, कंठी, 04 अंगूठी, 01 जोडी कान की बाली), 01 लाख 75 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा, जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद व मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त विनय कुमार उर्फ रिंकू के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 16.04.2021 को थाना ब्रहमपुरी क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ब्रहमपुरी पर

मु0अ0सं0 127/2021 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना ब्रहमपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहरूख निवासी आशियाना कालोनी फलेआम हास्पिटल के पीछे थाना लिसाडी गेट मेरठ।

2—विनय कुमार उर्फ रिंकू निवासी बिजोली थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने के आभूषण (चैन, कंठी, 04 अंगूठी, 01 जोडी कान की बाली)

2—01 लाख 75 हजार रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा, जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

जनपद बरेली/थाना फरीदपुर

- **अभियुक्ता गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये कीमत की 260 ग्राम अवैध स्मैक**
- **07 लाख 13 हजार 300 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 22.04.2021 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रम्पुरिया पुलिया के पास से अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के कब्जे से लगभग 35 लाख रूपये कीमत की 260 ग्राम अवैध स्मैक, 07 लाख 13 हजार 300 रूपये नगद बरामद हुए

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लगभग 35 लाख रूपये कीमत की 260 ग्राम अवैध स्मैक।

2—07 लाख 13 हजार 300 रूपये नगद।

एसटीएफः गैगेस्टर एक्ट में वांछित रू० 25,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी भगत सिंह उर्फ भगत गिरफ्तार।

दिनांकः 22—04—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के मु0अ0सं0 683/20 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट में फरार चल रहे रू0 25,000/— का इनामी अपराधी भगत सिंह उर्फ भगत को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

भगत सिंह पुत्र राम कन्नी निवासी महेपा जागीर थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

बरामदगी :–

1— 01 अदद तमंचा 12 बोर

2— 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

3— 500 रूपया नकद ।

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 22—04—2021 समयः लगभगः 22.35 बजे, औद्योगिक क्षेत्र, हृदयपुर मोड के पास से, थाना क्षेत्र सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

विगत कुछ दिनों से अवैध शराब एवं अपमिश्रित अवैध शराब बेचने वाले अपराधियों तथा वॉछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ मेरठ/गौतमबुद्धनगर द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में उ0नि0 श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एस0टी0एफ0, फील्ड यूनिट, गौतमबुद्धनगर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से दि0 22.04.2021 को एसटीएफ फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 683/20 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट के अभियोग में फरार चल रहा ईनामी अपराधी भगत सिंह उर्फ भगत पुत्र रामकन्नी निवासी ग्राम महेपा जागीर थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर औद्योगिक क्षेत्र हृदयपुर मोड के पास कहीं जाने के लिए खडा है। इस सूचना पर एसटीएफ नोएडा टीम द्वारा थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर पुलिस के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर उपरोक्त स्थल से अभियुक्त भगत सिंह उर्फ भगत को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त भगत सिंह उर्फ भगत ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है तथा कक्षा 5 पास है। बताया कि वह मूलरूप से ग्राम किसवा गढ़ी थाना खुर्जा जंक्शन थाना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर का रहने वाला है और वर्ष 2009 में उसके गॉव किसवा गढ़ी में झगड़ा हो गया था तथा उसके विरूद्व धारा 307 भादवि का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वह जेल गया था। बताया कि जेल से छूटने के पश्चात वह (भगत सिंह उर्फ भगत) योगेश पुत्र वीरेन्द्र एवं टिंकू पुत्र रतन एवं चन्द्रशेखर उर्फ मूला पुत्र जगदीश निवासीगण ग्राम महेपा जागीर थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर के सम्पर्क में आ गया और प्रलोभन में आकर उसने अवैध अपमिश्रित शराब बेचने का काम

करना शुरू कर दिया था और इस अवैध अपमिश्रित शराब के धंधे में वह वर्ष 2018 एवं 2019 में थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर से जेल जा चुका है। उल्लेखनीय है कि मु0अ0स0 683/20 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर के अभियोग में अभियुक्त भगत सिंह उर्फ भगत फरार चल रहा था और इसी अभियोग में इसकी गिरफ्तारी पर 25,000/— रूपया का पुरस्कार घोषित हो रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त भगत सिंह उर्फ भगत के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	1293/18	272, 273 भाादवि एवं 63 आ0अधि0 एक्ट	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
2	280/19	63 आबकारी अधिनियम	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
3	683/20	2/3 गैगेस्टर एक्ट	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
4	302/21	3/25 आर्म्स एक्ट	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर

गिरफ्तार अभियुक्त भगत सिंह के विरूद्व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 302/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर द्वारा की जा रही है।

———